



Neutral Citation No. 2026:AHC:19282

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 301 / 2026

कृष्ण दत्त मणि त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता
कुमार श्रीवास्तव

:

आशीष कुमार श्रीवास्तव अतुल

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बब्बन सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. यह याचिका एक परमादेश जारी करने के लिए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० लखनऊ को निर्देश दिया गया है कि वह उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 के तहत पुनरीक्षण संख्या आरईवी/10/20002001 कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या आर200009380013574 (अमीरा बनाम देवदत्त मणि त्रिपाठी) का निर्णय एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया पुनरीक्षण जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है वर्ष 2000 से ही प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० लखनऊ के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले की आदेश पत्र की एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है।
4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या आरईवी/10/20002001 कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या आर200009380013574 (अमीरा बनाम देवदत्त मणि त्रिपाठी) का निर्णय उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 के तहत पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद शीघ्रतापूर्वक करे और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर करे।
5. तदनुसार यह रिट याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित की जाती है।**

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

28 जनवरी 2026

रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"